न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ़

पीठ सीन अधिकारी का नामः– प्रकाश राजपुरोहित

प्रक ण संख्याः– 1/2018 विविध

कुलदीप सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह जाति अराई निवासी माणकसर तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़ (राज.)

––प्रार्थी

बनाम

रमेश कौर पत्नी सम्पूर्ण सिंह जाति अराई निवासी माणकसर तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़

––अप्रार्थी

न्यायालय उपखण्डाधिकारी, संगरिया के समक्ष लम्बित राजस्व वाद संख्या 10/2017 शीर्षक "रमेश कौर बनाम अमर सिंह व अन्य" को अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित करने के सम्बंध में प्रार्थना पत्र।

उपस्थितिः–1.श्री भूपेन्द्र सिंह वकील प्रार्थी
2.श्री भीमराज भादू वकील अप्रार्थीया

आदेश दिनांकः–26.03.2018

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीया की और से माननीय अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलैक्टर राजस्व संगरिया के समक्ष एक राजस्व वाद प्रार्थी व अन्य खातेदारो के विरूद्व बाबत खाता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वि ाजन का प्रस्तुत किया हुआ है। इस वाद में अप्रार्थीया द्वारा चक 19 ए एमके खाता में विशिष्ट किलो को घरू विभाजन में अपने पास होने के मि या कथन करते हुये विशिष्ट किलों का खाता अलग करवाने का अनुतोष च ा गया है जबकि चक 19 एमकेएस के खाता संख्या 46/43 खाता प्री ाम सिंह के सांझा खाता में स्थित कृषि भूमि का कभी कोई घरू विभाजन न ा हुआ व खाता सांझा चला आ रहा है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीया के इस वाद क विराध करते हुये एवं घरू विभाजन की स्थिति से स्पष्ट इन्कार करते हु अच्छी मंदी के हिसाब से खाता विभाजन करवाने में अपनी सहमति देते हु उसका खाता भी अलग करने सम्बन्धी काउन्टर क्लेम अधीनस्थ न्या यालय के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है। वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय में पी ासीन अधिकारी श्री उम्मेद सिंह रतनू पदस्थापित है जो कि संगरिया के वि ायक श्री कृष्ण कड़वा के प्रभाव मे हैं अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थी व अन्य लोगो के समक्ष यह स्पष्ट कहा गया कि उनकी विधायक महोदय से बात हो गई है एवं विधायक महोदय द्वारा पीठासीन अधिकारी को फोन पर अप्रार्थीया के वा को डिक्री करने का कह दिया गया है। अप्रार्थीया के इस कथन से प्रा र्थी को अत्यधिक आघात लगा एवं इस वाद में पीठासीन अधिकारी द्वारा छं ी छोटी तारीख दी जाने लगी एवं वाद के शीघ्र निस्तारण की कार्यवाही बि ा शेष प्रतिवादीगण की तामील के ही करने का प्रयास किया जाने लगा त प्रार्थी को अप्रार्थीया के कथनों मे सत्यता लगी एवं प्रार्थी को यह पूर्ण वि वास हो गया है कि पीठासीन अधिकारी विधायक महोदय के प्रभाव में अ कर अप्रार्थीया के वाद को डिक्री कर विशिष्ट किलो के आधार पर खाता वि ाजन के आदेश करेंगे। जबकि वास्तविक स्थिति के अनुसार कभी कोई घ विभाजन नही हुआ ऐसी स्थिति में अच्छी मंदी के हिसाब से ही विधि अ सार विभाजन होना चाहिये परन्तु पीठासीन अधिकारी विधायक महोदय के प्रभाव में आकर अविधिक रूप से निर्णय करने के लिये प्रयासरत है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई आशा नही है। प्रा र्थी माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित वरद को अन्य सक्षम न्या यालय में अन्तरित करवाना चाहता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उ खण्डाधिकारी, संगरिया के समक्ष लम्बित वाद संख्या 10/2017 शीर्षक "र ेश कौर बनाम अमर सिंह व अन्य" को अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित क ने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीया क तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी संगरिया से टिप्पणी मंगवायी गई।

वकील उभय पक्ष उपस्थित। दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बह स सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हु कथन किया कि वर्तमान पीठासीन अधिकारी क्षेत्रीय विधायक के प्रभाव में

है पीठासीन अधिकारी क्षेत्रीय विधायक के प्रभाव में आकर प्रश्नगत प्रकरण में छोटी छोटी तारीख देकर प्रकरण का निर्णय करने पर उतारू है। इसलिए प्रा र्ी को वर्तमान पीठासीन अधिकारी से न्यायोचित न्याय की कोई उम्मीद न: ं है। इसलिए प्रश्नगत प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानांतरण करने के आदेश फरमाये जावे।

वकील अप्रार्थीया ने अपनी बहस में कथन किये कि प्रार्थी द्वारा प्रा ना पत्र में जो तथ्य अंकित किये गये है वे आधारहीन तथा मिथ्या है। प्रा र्ी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश वि या गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन वि या। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी संगरिया के न्यायालय में वि ाराधीन प्रश्नगत प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण करवाने के सं ध में है। पत्रावली पर उपलब्ध उपखण्ड अधिकारी की टिप्पणी का अ लोकन करने से उनके द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मनधडत कहानी के आ ार पर होना बताया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में पीठासीन अ ेकारी पर जो आरोप लगाये गये है इनके संबंध में कोई ठोस साक्ष्य पेश न: ं किया है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण के स्थानान्तरण के बिन्दु पर वि ार किया जाना उचित नही समझते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज ये य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। उपखण्ड अ ेकारी संगरिया को यह निर्देश दिये जाते है कि वे प्रश्नगत प्रकरण में न यिक प्रकिया को अपनाते हुए विधि सम्मत निर्णय करे। आदेश की प्रति उ खण्ड अधिकारी संगरिया को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार हो कर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

आदेश आज दिनाक 26.03.2018 को लिखाया जाकर सुनाया ग ा।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ